

INDIA  
PARTNER

Dabur  
GROUP

## अवीवा लाइफबॉन्ड एडवांटेज



**AVIVA**  
| Life Insurance |

इस नीति में, निवेश पोर्टफोलियो में निवेश जोखिम पॉलिसीधारक द्वारा उत्पन्न किया जाता है

अनुबंधित बीमा उत्पाद अनुबंध के पहले पांच वर्षों के दौरान किसी भी योग्यता की पेशकश नहीं करते हैं। पॉलिसीधारक पूरी तरह से या व्यक्तिगत रूप से पांच वर्ष की समाप्ति तक जुड़े बीमा बीमा उत्पादों में निवेश की गई राशि के साथ नहीं होगा।



### अवीवा लाइफबॉन्ड लाभ — एक सिंगल प्रीमियम यूनिट लिंकड बीमा प्लान।

अवीवा लाइफबॉन्ड फायदे एक गैर-भागीदारी वाली यूनिट लिंकड बचत उत्पाद बीमा योजना है जो आपको मध्यम से दीर्घ अवधि के लिए एकमुश्त निवेश करने को अवसर प्रदान करती है, जबकि आपको 5 पॉलिसी वर्ष के बाद कभी भी आपने पैसे निकालने की इजाजत मिलती है।

### अवीवा लाइफबॉन्ड लाभ — अद्वितीय आकर्षण:

#### • उन्नत निवेश रिटर्न:

इसके साथ बहतर निवेश रिटर्न प्राप्त करें:

- यूनिट लिंकड फंडों का विकल्प — बैलेस्ड फंड—II, बॉन्ड फंड—II, एन्हांसर फंड—II, ग्राथ फंड—II, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, पीएस्यू फंड, और प्रोटेक्टर फंड—II। आपके निवेश उद्देश्यों के आधार पर
- 10 वें पॉलिसी वर्ष के अंत में फंड वैल्यू का 4 प्रतिशत लॉयल्टी और सभी 7 यूनिट लिंकड फंड पर पॉलिसी लाभ बढ़ाने के लिए प्रत्येक 10 पॉलिसी सालों के अंत में फंड मूल्य का 2 प्रतिशत

#### • विशाल सुविधा:

- 5 साल के बाद मुफ्त आंशिक निकासी के माध्यम से आसान निकासी
- फंड के बीच स्विच करने का विकल्प
- इन-बिल्ट दुर्घटना मृत्यु लाभ

### अवीवा लाइफबॉन्ड लाभ—प्राप्ताता

प्रवेश आयु (पिछले जन्मदिन पर)	2 से 65 वर्ष (जोखिम तुरंत शुरू)
परिपक्वता आयु	18–75 वर्ष
पॉलिसी अवधि (पीटी)	10 से 73 साल परिपक्वता पर बीमाकृत जीवन के 75 वर्ष की अधिकतम आयु के अधीन
प्रीमियम भुगतान अवधि (पीपीटी)	एकल
एकल प्रीमियम	न्यूनतम: ₹50,000 अधिकतम: कोई सीमा नहीं, अंडरराइटिंग के अधीन
आधार बीमा राशि (निश्चयता)	1.25 × सिंगल प्रीमियम
अंतर्निहित एडीबी बीमा राशि	आधार बीमित राशि के बराबर, अधिकतम 50 लाख रुपये के अधीन
टॉप-अप प्रीमियम	यूनतम: ₹5,000 अधिकतम: भुगतान किए गए प्रीमियम की राशि तक
टॉप-अप बीमित राशि	टॉप-अप प्रीमियम का 1.25 गुना भुगतान किए गए
एकल प्रीमियम के लिए लॉक-इन-अवधि	पॉलिसी के शुरू होने की तारीख से 5 साल
टॉप-अप प्रीमियम के लिए लॉक-इन-अवधि	टॉप-अप प्रीमियम आवंटन की तारीख से 5 वर्ष

**नोट:** नाबालिंग जिंदगी का कवरेज: यदि बीमाकृत व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से कम है, तो पॉलिसी 18 वर्ष की उम्र प्राप्त करने तक बच्चे के नाम पर स्वचालित रूप से निहित होगी। इसके अलावा एकल प्रीमियम प्रस्तावक द्वारा देय होगा जो या तो माता-पिता या दादा-दादी या अभिभावक हो सकते हैं।

### अवीवा लाइफबॉन्ड लाभ — आपकी योजना के लिए आसान कदम

**चरण 1:** उस राशि का निर्धारण करें जिसे आप एकमुश्त निवेश के रूप में निवेश करना चाहते हैं। यह प्रीमियम और पॉलिसी अवधि की पर्सनलिमिट करेगा।

**चरण 2:** अपने जोखिम लेने के आधार पर उन फंडों को चुनें जिन्हें आप निवेश करना चाहते हैं।

- आपके जोखिम के आधार पर चयन करने के लिए 7 फंड विकल्प

### अवीवा लाइफबॉन्ड लाभ — लाभ

**मृत्यु लाभ:** बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर, निम्नलिखित देय होगा;

- ए. मृत्यु की अधिसूचना की तारीख पर एकल प्रीमियम से संबंधित मूल बीमा राशि या फंड मूल्य से अधिक या दिया गया सिंगल प्रीमियम का 105 प्रतिशत, और
- ख. मौत की अधिसूचना की तारीख को टॉप-अप प्रीमियम से संबंधित टॉप-अप बीमा राशि या फंड मूल्य से अधिक या भुगतान किए गए टॉप-अप प्रीमियम का 105 प्रतिशत, यदि कोई हो,

मृत्यु लाभ का भुगतान करने के बाद, अनुबंध समाप्त हो जाएगा।

यदि पॉलिसीधारक और जीवन बीमाधारक अलग हैं और पॉलिसीधारक की मृत्यु जीवन बीमाधारक से पहले होती है, तो पॉलिसी समाप्त नहीं होती है और ऐसी घटना पर कोई लाभ देना नहीं होता है क्योंकि पॉलिसीधारक का जीवन बीमा नहीं है।

बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर, मौत की तारीख से दो साल के भीतर किए गए सभी आंशिक निकासी (आधार) द्वारा आधार बीमा राशि को कम किया जाएगा। हालांकि, यदि मृत्यु की तिथि पर बीमित व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक या बराबर है, तो जीवन बीमाधारक को 58 वर्ष की आयु प्राप्त होने के बाद किए गए सभी आंशिक निकासी (ओं) द्वारा आधार बीमा राशि कम हो जाएगी।

### आकस्मिक मृत्यु लाभ (अंतर्निहित)

आकस्मिक मृत्यु के मामले में, अगर बीमित व्यक्ति की आयु मृत्यु की तारीख के अनुपार पिछले जन्मदिन से 18 वर्ष से अधिक है, लेकिन पिछले जन्मदिन से 60 वर्ष से अधिक नहीं है, तो उपरोक्त वर्धित मृत्यु लाभ के अतिरिक्त, दुर्घटना के बराबर लाभ पॉलिसी अनुसूची में उल्लिखित मृत्यु राशि भी देय होगी। आकस्मिक मृत्यु राशि आधार बीमा राशि अधिकतम ₹ 50 लाख के अधीन है।

### लॉयल्टी एडिशन

लॉयल्टी एडिशन अतिरिक्त पॉलिसी अवधि के समय के विभिन्न अवधि में फंड मूल्य के अतिरिक्त है।

आपको नीचे दी गई तालिका के अनुसार विभिन्न पॉलिसी वर्षों पर निश्च मूल्य संबंधित लॉयल्टी एडिशन मिलेगा। ये लॉयल्टी एडिशन विभिन्न फंडों में एकल प्रीमियम से संबंधित इकाइयों में परिवर्तित एकल प्रीमियम वितरण के समान अनुपात में जोड़े जाते हैं। एक बार आवंटित लॉयल्टी एडिशन के अतिरिक्त सभी घटनाओं के तहत संलग्न और देय जारी रहेगा।

नीति वर्ष	एकल प्रीमियम से संबंधित फंड मूल्य के प्रतिशत के रूप में लॉयल्टी एडिशन
10 वें पॉलिसी वर्ष के अंत में	पॉलिसी वर्ष 10 के अंत में फंड मूल्य का 4 प्रतिशत
प्रत्येक 10 वें पॉलिसी वर्ष के अंत में	प्रत्येक 10 वें पॉलिसी वर्ष के अंत में फंड मूल्य का 2 प्रतिशत

टॉप-अप प्रीमियम से संबंधित इकाइयां, यदि कोई हों, लॉयल्टी एडिशन के लिए योग्य नहीं होंगी।

### परिपक्वता लाभ

यदि आप परिपक्वता तक जीवित रहते हैं, तो परिपक्वता तिथि के अनुसार हम आपको फंड वैल्यू (एकल प्रीमियम और टॉप-अप प्रीमियम से संबंधित इकाइयों का मूल्य) का भुगतान करेंगे।

### पूर्ण वापसी

इस नीति के तहत 5 साल की लॉक-इन-अवधि है। हालांकि, आपके पास पॉलिसी के शुरू होने के बाद किसी भी समय पॉलिसी से पूरी तरह से वापस लेने का विकल्प है।

## पहले 5 वर्षों के दौरान पूर्ण वापसी:

5 साल की लॉक-इन अवधि के दौरान पूरी वापसी पर, पॉलिसी के तहत जोखिम कवर तुरंत समाप्त हो जाएगा। निकासी की तारीख के रूप में फंड मूल्य को बंद पॉलिसी फंड में जमा किया जाएगा और लॉक-इन अवधि के अंत में धनवापसी की जाएगी। ऐसी अवधि के दौरान, आपको फंड आईआरईए द्वारा समय-समय पर नियंत्रित न्यूनतम गारंटीकृत व्याज दर कमाने के लिए जारी रखेगा व्याज की गारंटी दर 4 प्रतिशत प्रति वर्ष है। इस तरह कमाने के लिए जारी रखेगा व्याज की गारंटी दर 4 प्रतिशत प्रति वर्ष है।

5 पॉलिसी सालों के बाद पूर्ण वापसी:

5 साल की लॉक-इन अवधि के बाद पूरी वापसी पर, एकल प्रीमियम और टॉप-अप प्रीमियम से संबंधित फंड मूल्य, यदि कोई हो, तो आपको भुगतान किया जाएगा और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

## आंशिक निकासी

पहले पांच पॉलिसी सालों के पूरा होने के बाद आंशिक निकासी की अनुमति है, बशर्ते जीवन बीमाधारक ने पिछले जन्मदिन की उम्र 18 साल की हो।

टॉप-अप प्रीमियम से संबंधित इकाइयों को रक्कम के अनुमति दिन से पांच साल की समाप्ति के बाद किसी भी समय उप-प्रीमियम प्रीमियम यूनिट खत्ते से आंशिक निकासी की जा सकती है, बशर्ते जीवन बीमाधारक की उम्र पिछले जन्मदिन को 18 साल हो।

पहले पांच पॉलिसी वर्षों के दौरान सिंगल प्रीमियम से संबंधित इकाइयों से कोई आंशिक निकासी उपलब्ध नहीं है। छठी पॉलिसी वर्ष के शुरू होने या पॉलिसी वर्षगांठ के बाद जिस पर लाइफ इंश्योरेंस 18 वर्ष की आयु प्राप्त करता है, जो भी बाद में हो, पॉलिसीधारक इकाइयों को रद करके आंशिक निकासी कर सकता है।

यदि बीमित व्यक्ति की उम्र 58 वर्ष से कम है तो पॉलिसी वर्ष में एकल प्रीमियम यूनिट खत्ते से किए गए पॉलिसी वर्ष, जिसमें आंशिक निकासी की जा रही है, में आंशिक निकासी की कुल राशि एकल प्रीमियम से संबंधित इकाइयों के मूल्य के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए आंशिक निकासी की राशि पर यह प्रतिबंध लागू नहीं है, अगर बीमित व्यक्ति की आयु 58 वर्ष से अधिक या बराबर है।

पॉलिसी वर्ष में किए गए आंशिक निकासी की बुल संख्या 4 से अधिक नहीं होनी चाहिए। आंशिक निकासी, यदि पॉलिसी वर्ष में अनुपलब्ध है, तो उगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर, मौत की तारीख से दो साल के भीतर किए गए सभी आंशिक निकासी (आधार) द्वारा आधार बीमा राशि को कम किया जाएगा। हालांकि, यदि मृत्यु की तिथि पर बीमित व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक या बराबर है, तो जीवन बीमाधारक को मृत्यु तिथि तक 58 वर्ष की आयु प्राप्त होने के बाद किए गए सभी आंशिक निकासी (ओं) द्वारा आधार बीमा राशि कम हो जाएगी।

आंशिक निकासी की न्यूनतम राशि ₹5,000 होगी (यह न्यूनतम सीमा समय-समय पर बदल सकती है) बशर्ते कि आंशिक निकासी के तुरंत बाद, एकल प्रीमियम से संबंधित कुल इकाइयों का शेष मूल्य ₹15,000 से कम न हो।

आंशिक निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसके परिणामस्वरूप पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

## सेटलमेंट ऑप्शन

- यह विकल्प आपको परिषक्ता के बाद भी धन में निवेश करने के लिए अनुमति देता है और आपको 5 साल तक की अवधि में व्यवस्थित रूप से प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। परिषक्ता से कम से कम 15 दिन पहले लिखित नोटिस देकर, इस विकल्प को परिषक्ता पर ही चुना जा सकता है।
- पेआउट विकल्प की अनुमति पूरे सेटलमेंट की अवधि के दौरान प्रति भुगतान एक नियंत्रित इकाइयों या मासिक, त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक या वार्षिक आधार पर सेटलमेंट अवधि के दौरान प्रति भुगतान सावधि राशि के माध्यम से चेक के माध्यम से होती है। प्रत्यक्ष क्रेडिट/ईसीएस (मासिक और त्रैमासिक आवृत्ति के लिए अनिवार्य)।
- सेटलमेंट ऑप्शन अवधि के दौरान, सभी निवेश जोखिम आपके द्वारा पैदा किए जाने के लिए जारी रहेंगे।
- आपको इस सेटलमेंट ऑप्शन के माध्यम से संबंधित पेआउट के रूप में भुगतान करना चाहते हैं, जो परिषक्ता लाभ के न्यूनतम 25 प्रतिशत के अधीन अनुपात को अवश्य देना होगा।
- पेआउट टर्म के दौरान आंशिक निकासी, व्यवस्थित आंशिक निकासी और यूनिट विच की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- ये सभी भुगतान बकाया के रूप में किए जाएंगे और सेटलमेंट की अवधि के दौरान कोई जाँचेम करवर नहीं होगा। मृत्यु लाभ शेष फंड राशि होगी।
- पेआउट टर्म के दौरान फंड प्रबंधन शुल्क को छोड़कर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा।
- अगर सेटलमेंट विकल्प अवधि के दौरान किसी भी समय, फंड वैल्यू गिरता है, ₹ 500 से नीचे तो फंड वैल्यू आपको भुगतान किया जाएगा और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।
- किसी भी शुल्क पर लगाए बिना सेटलमेंट की अवधि के दौरान किसी भी समय पूर्ण वापसी की अनुमति होगी।

## कर लाभ

आपके द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम मौजूदा कर कानूनों के अनुसार कर लाभ के लिए पात्र होंगे। कर कानून बदल सकते हैं।

अवैध लाइफबॉन्ड लाभ - निवेश विकल्प

ए निवेश विकल्प:

ए) निवेश निधि:

यह योजना आपको सात यूनिट लिंक्ड फंडों में से एक या अधिक में निवेश करने के लिए लंबीलापन प्रदान करती है। आप किसी भी फंड में अपने प्रीमियम का 100 प्रतिशत निवेश कर सकते हैं या चुने गए किसी भी फंड में 10 प्रतिशत की न्यूनतम सीमा के अधीन धन का संयोजन चुन सकते हैं।

फंड नाम और उद्देश्य	संपत्ति आवंटन	जोखिम प्रोफाइल
प्रोटेक्टर फंड-II [SFIN: ULIF02108/01/2010LIPROTE-II122]: इविचटी के न्यूनतम जोखिम के साथ रिस्क रिटर्न उत्पन्न करने के लिए।	ऋण एमएम इविचटी	25-100% 0-40% 0-20%
बॉन्ड फंड-II [SFIN: ULIF01608/01/2010LIF-DEBT-II122]: उच्च गुणवत्ता में निवेश के माध्यम से एक रिस्क आय उत्पन्न करने के लिए आय प्रतिभूतियां	ऋण इविचटी	60-100% 0-40% 0%
संतुलित फंड-II [SFIN: ULIF01508/01/2010LIBAL-AN-II122]: पूँजीगत वृद्धि और रिस्क रिटर्न का संतुलन उत्पन्न करने के लिए।	ऋण एमएम इविचटी	25-100% 0-40% 0-45%
ग्रोथ फंड-II [SFIN: ULIF01808/01/2010LIGROWT-II122]: उच्च इविचटी एवमपेज़ोज के साथ ईर्षकालिक पूँजी सराहना उत्पन्न करने के लिए।	ऋण एमएम इविचटी	0-50% 0-40% 30-85%
PSU फंड-II [SFIN: ULIF02208/01/2010LIFEPSUF-ND122]: PSU और संबंधित इविचटी में निवेश के माध्यम से रिस्क रिटर्न उत्पन्न करना	ऋण एमएम इविचटी	0-40% 0-40% 60-100%
इंफ्रास्ट्रक्चर फंड [SFIN: ULIF01908/01/2010LIFEINF-RAF122]: बुनियादी ढांचे और संबंधित इविचटी में निवेश के माध्यम से रिस्क रिटर्न उत्पन्न करना	ऋण एमएम इविचटी	0-40% 0-40% 60-100%
इन्हेसर फंड [SFIN: ULIF01708/01/2010LIFENH-III122]: उच्च इविचटी एक्सपोज़ेर के साथ दीप्कालिक पूँजी सराहना उत्पन्न करने के लिए।	ऋण एमएम इविचटी	0-40% 0-40% 60-100%

## ध्यान दें:

- कुल संपत्ति राशि (एनएवी) गणना: फंड के एनएवी की गणना इस प्रकार की जाएगी: फंड द्वारा आयोजित निवेश का बाजार मूल्य + वर्तमान संपत्ति का मूल्य – वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों का मूल्य, यदि कोई हो। मूल्यांकन तिथि पर मौजूद इकाइयों की संख्या (इकाइयों के निर्माण/रिडेम्प्शन से पहले)
- पॉलिसी के शुरू होने की तारीख के एनएवी के आधार पर हला प्रीमियम आवंटित किया जाएगा।

3. कटऑफ समय से पहले प्राप्त लेनदेन अनुरोध उसी दिन के एनएवी आवंटित किए जाएंगे और कटऑफ समय के बाद प्राप्त किए गए लोगों को अगले दिन के एनएवी आवंटित किए जाएंगे। कटऑफ समय समय-समय पर भारतीय दिशानिर्देशों के आईआरडीए के अनुसार होगा, जो वर्तमान में समय 3 बजे है।

डिस्कन्टन्यूड पॉलिसी फंड का निवेश पैटर्न:

डिस्कन्टन्यूड पॉलिसी फंड के लिए निवेश पैटर्न निम्नानुसार होगा। इस फंड का फंड प्रबंधन शुल्क सालाना समय पर 0.50 प्रतिशत प्रति वर्ष या भारत के आईआरडीए द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

फंड का नाम और उददेश्य	परिसंपत्ति आवंटन	जोखिम प्रोफाइल
डिस्कन्टन्यूड पॉलिसी फंड [SPIN: ULIF03127/01/2011LIDISCPCLV122] समय-समय पर भारत के IRDA द्वारा निर्धारित न्यूनतम गारंटी दर प्रदान करने के लिए	न्यूनतम 0 से 40 प्रतिशत सरकारी सुरक्षा: 60 से 100 प्रतिशत	कम

डिस्कन्टन्यूड पॉलिसी फंड पर लागू ब्याज दर समय-समय पर आईआरडीए द्वारा निर्धारित न्यूनतम गारंटीकृत ब्याज दर के अधीन घोषित की जाएगी। डिस्कन्टन्यूड पॉलिसी फंड पर लागू ब्याज की वर्तमान न्यूनतम गारंटी दर प्रतिवर्ष 4 प्रतिशत होगी। न्यूनतम गारंटीकृत ब्याज दर के ऊपर और ऊपर डिस्कन्टन्यूड पॉलिसी फंड में अर्जित अतिरिक्त आय को डिस्कन्टन्यूड पॉलिसी फंड को भी विभाजित किया जाएगा।

आप कृपया ध्यान दें कि:

उपरोक्त के रूप में परिसंपत्ति श्रेणियों पर न्यूनतम और अधिकतम सीमाएं निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए फंड में निवेश लेचीलापन रखने के लिए निर्धारित की गई हैं।

एमएम मुद्रा बाजार और अन्य नकद उपकरणों के लिए है

यह सुझाव दिया जाता है कि आपकी पसंद के निवेश उद्देश्यों और जोखिम के लिए आपकी क्षमता पर आधारित होती है। आदर्श रूप से, आपको सभी फंडों का मिश्रण चुनना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप विविधकरण और परिणामस्वरूप कम जोखिम होता है।

### बी) टॉप-अप प्रीमियम:

- आपके पास पिछले 5 पॉलिसी वर्षों के दौरान पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी समय टॉप-अप के माध्यम से अतिरिक्त एकमुश्त निवेश करने का विकल्प है।
- टॉप-अप प्रीमियम का भुगतान टॉप-अप प्रीमियम के 1.25 गुना की वीमित राशि होगी।
- न्यूनतम टॉप-अप ₹5,000 है
- अधिकतम टॉप अप भुगतान प्रीमियम के योग तक हो सकता है
- आप टॉप-अप का भुगतान करने के समय फंड आवंटन निर्दिष्ट कर सकते हैं
- अनुबंध की मुद्रा के दौरान किसी भी समय, भुगतान किए गए कुल टॉप-अप प्रीमियम एकल प्रीमियम से अधिक नहीं होंगे।
- टॉप-अप प्रीमियम से संबंधित बीमा राशि टॉप-अप प्रीमियम के 1.25 गुना के बाराबर होगी।
- पॉलिसीधारक निधि के विभिन्न अनुपात निर्दिष्ट कर सकता है जिसमें टॉप-अप प्रीमियम का निवेश दिया जाना चाहिए। यदि पॉलिसीधारक टॉप-अप प्रीमियम बनाने के समय आवंटन अनुपात निर्दिष्ट नहीं करता है, तो टॉप-अप प्रीमियम के लिए आवंटन अनुपात एकल प्रीमियम के लिए लागू होगा।

### सी) यूनिट स्विच:

यह विकल्प आपको अपनी मौजूदा जरूरतों को अपनी बदलती जरूरतों/प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न फंडों में समायोजित करने में मदद करता है। पॉलिसी अवधि के दौरान आप किसी भी समय 7 फंडों के बीच अपने एकत्रित धन (आंशिक रूप से या पूरी तरह से) स्विच कर सकते हैं।

एक भारतीय रूपये होनी चाहिए।

पॉलिसी वर्ष में पहली 12 यूनिट स्विच होनी चाहिए।

बाद के स्विच पर, प्रति स्विच लेनदेन के अधिकतम ₹500 के अधीन स्विच की गई राशि का 0.5 प्रतिशत शुल्क लिया जाएगा। हालांकि, यह यूनिट स्विच यदि पॉलिसी वर्ष में अनावरण किया जाता है, तो आगे नहीं किया जाएगा। स्विच लेनदेन के लिए न्यूनतम शुल्क ₹25 है।

### डी) ऋण:

अवीवा से पॉलिसी पर ऋण का कोई प्रावधान नहीं है।

अवीवा लाइफबॉन्ड लाभ - शुल्क

### 1. प्रीमियम आवंटन शुल्क :

यह शुल्क प्रीमियम से कटौती की जाती है और इस शुल्क का कटौती करने के बाद शेष प्रीमियम का निवेश किया जाता है।

एकल प्रीमियम (₹)	आवंटन दर
50,000 - 99,000	4%
1,00,000 - 4,99,999	3%
5,00,000 से आगे	2%

टॉप-अप प्रीमियम के लिए आवंटन शुल्क 2 प्रतिशत है।

### 2. फंड प्रबंधन शुल्क (एफएमसी):

निरंतर पॉलिसी फंड को छोड़कर सभी फंडों के लिए प्रति वर्ष 1.35 प्रतिशत प्रति वर्ष का फंड प्रबंधन शुल्क लागू किया जाएगा। डिस्कन्टन्यूड पॉलिसी फंड के मामले में, फंड प्रबंधन शुल्क प्रतिवर्ष 0.50 प्रतिशत या भारत के आईआरडीए द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार समय-समय पर होगा। प्रत्येक फंड के लिए एनएवी की गणना देनीकाल आधार पर की जाएगी।

### 3. नीति प्रशासन शुल्क (पीएसी):

इकाई खाते से इकाइयों की मासिक रक्षीकरण द्वारा पॉलिसी प्रशासन शुल्क काटा जाएगा। पॉलिसी अवधि में नीति प्रशासन शुल्क ₹40 प्रति माह होगा।

### 4. मृत्यु दर:

मृत्यु दर जोखिम (एसएआर) पर लागू होगी,  
एसएआर बराबर होगा:

ए. आधार बीमा राशि के उच्चतम या एकल प्रीमियम पेड माइनस फंड का 105 प्रतिशत एकल प्रीमियम प्लस से संबंधित मूल्य।

ख. टॉप-अप बीमा राशि के उच्चतम या टॉप-अप प्रीमियम का 105 प्रतिशत उच्चतम प्रीमियम से संबंधित ऋण फंड मूल्य का भुगतान किया जाता है।

मृत्यु दर जोखिम हमेशा शून्य से बड़ा या बराबर होता है। यदि जीवन बीमाधारक की उम्र 60 वर्ष से कम है तो आधार बीमा राशि पिछले दो पॉलिसी वर्षों में किए गए सभी आंशिक निकासी (या) द्वारा बीमाकृत की आयु 60 वर्ष से अधिक या बराबर होगी, तो मूल बीमा राशि प्राप्त होगी जीवन बीमाधारक की 58 साल बाद प्राप्त होने के बाद किए गए सभी आंशिक निकासी से कम हो गया है।

यह इकाई खाते से इकाइयों की मासिक रक्षीकरण द्वारा जोखिम पर लगाया जाता है। एक स्वस्थ पुरुष के लिए प्रति हजार बीमा राशि का नमूना वार्षिक शुल्क नीचे दिया गया है:

आयु	25	30	35	40
₹	0.9888	1.0695	1.32	1.8808

महिला जीवन से मृत्यु दर पर 2 साल के युवा पुरुष जीवन की दर से शुल्क लिया जाएगा।

अवमानक जीवन के लिए मृत्यु दर अतिरिक्त मृत्यु दर के अनुपात में मूल्यांकन किया जाएगा।

### मृत्यु दर के अलावा, दुर्घटनाग्रस्त मौत लाभ के लिए प्रति 1000 बीमा राशि के लिए ₹0.60 शुल्क लिया जाएगा।

### 5. स्विचिंग चार्ज:

पॉलिसी वर्ष में पहले बारह स्विच चून्य

बाद के स्विच पर, स्विच के 0.5 प्रतिशत शुल्क चार्ज अधिकतम ₹500 प्रति स्विच के अधीन होता है। न्यूनतम शुल्क ₹25 है।

### 6. विविध शुल्क: शून्य

7. माल और सेवा कर सहित करों तक सीमित नहीं है, लागू होने वाले सेसेस को सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा। कर कानून बदल सकते हैं।

8. समय-समय पर संशोधित बीमा अधिनियम 1938 की धारा 38 और 39 के तहत प्रावधानों के अनुसार असाइनमेंट और नामांकन की अनुमति है।

9. अवीवा जोखिम की स्वीकृति और पूर्ण रूप से प्रीमियम की प्राप्ति तक किसी भी दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

#### अपवर्जन:

पॉलिसी की शुरुआत की तारीख से 12 महीने के भीतर आत्महत्या के कारण मृत्यु के मामले में, पॉलिसीधारक के नामांकित या लाभार्थी को मृत्यु की तारीख पर उपलब्ध फॅंड मूल्य के हकदार होंगे।

मौत की तारीख के बाद बरामद किए गए किसी भी शुल्क को मृत्यु लाभ के साथ नामांकित या लाभार्थी को भुगतान किया जाएगा।

गैर-आकस्मिक मौत पर, ऊपर दिए गए आत्महत्या दावा प्रावधान के अलावा कोई बहिष्कार नहीं है।

पॉलिसी अभियंता के दौरान दुर्घटनाग्रस्त मौत के कारण अतिरिक्त लाभ देय नहीं होगा यदि दुर्घटनाग्रस्त मौत या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ जाती है:

- शराब या
- एक चिकित्सक द्वारा निर्धारित दवा के अलावा दवा के दुरुपयोग, या
- वीमित व्यक्ति द्वारा अपाराधिक इरादे से किए गए किसी भी अपवाह, या
- इच्छाशक्ति आत्म घोट, आत्महत्या या आत्महत्या का प्रयास किया या
- एक पंजीकृत और योग्य चिकित्सक से चिकित्सा उपचार और सलाह लेने और पालन करने में विफलता।
- व्यावसायिक रूप से लाइसेंस प्राप्त यात्री विमान में यात्री के अलावा अन्य विमान।
- एथलेटिक या तैराकी के अलावा किसी भी प्रकार की दौड़ में व्यस्त होना।
- युद्ध, आक्रमण, शरुता (चाहे युद्ध घोषित किया गया हो या नहीं), गृहयुद्ध, विद्रोह, दंगों, सामाजिक विकार, विद्रोह, सेन्य या उग्र शक्ति, या हिस्सा के कृत्यों में जानवृक्कार भागीदारी का कोई भी रूप।
- परमाणु दुर्घटना के कारण रेडियोधर्मी संदूषण
- पैराश्ट्रिटा, पोलोलिंग, पर्वतारोरण और गर्म हवा के गुब्बारे सहित खतरनाक प्रकृति के खेल या मनोरंजन में भागीदारी।
- किसी भी शर्त, बीमारी या चोट या संबंधित स्थिति (जिसके लिए) वीमित व्यक्ति के पास संकेत या लक्षण थे, और/या निवान किया गया था, और/या पॉलिसी के शुरू होने से पहले 48 महीने के भीतर चिकित्सा सलाह/उपचार प्राप्त किया गया था

चिकित्सक वह व्यक्ति है जो भारत के किसी भी राज्य या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या भारतीय चिकित्सा पारिषद या भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा शापित होन्यापैरी के लिए एक वैध पंजीकृत रखता है और इस प्रकार दवा का अध्यास करने के हकदार हैं अधिकार क्षेत्र में और अपने लाइसेंस के दायरे और क्षेत्राधिकार के भीतर कार्य कर रहा है। चिकित्सक में शामिल नहीं होगा:

i. आपके पति/पत्नी, पिता (सौतेले पिता सहित), मां (सौतेली मां सहित), पुत्र (सौतेले बेटे सहित), बेटे की पत्नी, बेटी (सौतेली बेटी सहित), बेटी के पति, भाई (सौतेले भाई सहित) और बहन (सौतेली बहन समेत), या

ii. आप या बीमाकृत।

#### फ्रीत्कुर अवधि:

आपको पॉलिसी दस्तावेज की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर पॉलिसी नियमों और शर्तों की समीक्षा करने का अधिकार है। यदि आप इनमें से किसी भी नियम या शर्तों से असहमत हैं, तो आपके पास अपने आपसे के कारण बताते हुए नीति वापस करने का विकल्प है, तो आप गैर-आवंटित प्रीमियम (यदि कोई भी) और चिकित्सा परीक्षा, यदि कोई हो, और स्टेट ड्रॉफ शुल्कों पर किए गए कवर और यथा की अवधि के लिए आनुपातिक जोखिम शुल्क की कटौती के बाद इकाइयों को रद्द करके रक्षीकरण की तारीख पर फॅंड मूल्य की वापरी के लिए हकदार होंगे और।

#### उद्धोषणा:

अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड केवल बीमा कंपनी का नाम है और अवीवा लाइफबॉन्ड एडवांटेज केवल यूनिट संबंद्ध जीवन बीमा कॉर्प्रैट का नाम है और किसी भी तरह से अनुबंध की गुणवता, भविष्य की संभावनाओं या रिटर्न का संकेत नहीं देता है।

इस अनुबंध के तहत पेश किए गए विभिन्न फॅंडों के नाम हैं और इन योजनाओं की गुणवता, भविष्य की संभावनाओं और रिटर्न की गुणवता को इंगित नहीं करते हैं।

प्रीमियम और फॅंड, फॅंड से संबंधित प्रीमियम या भुगतान प्रीमियम से संबंधित कुछ शुल्क के अधीन हैं और शुल्क में वृद्धि की संभावना है।

कृपया अपने विक्री प्रतिनिधि या बीमा कंपनी द्वारा जारी किए गए मध्यस्थ या नीति दस्तावेज से संबंधित जोखिम और लागू शुल्क जारै।

“\*एस एंड पी\*” और “स्टेटेड एंड पूअर्सन\*” मैकग्रा-हिल कंपनी इनकॉर्पोरेशन (“एस एंड पी”) के ट्रेडमार्क हैं, और एस एंड पी सीएनएक्स को निपटी इंडेक्स के संबंध में इंडिया इंडेक्स सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स लिमिटेड द्वारा प्रोवायोग के लिए लाइसेंस प्राप्त हैं। उत्पाद इंडेक्स सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स लिमिटेड (“आईआईएसएल”) या मैकग्रा-हिल कंपनी, इनकॉर्पोरेशन द्वारा प्रायोजित, अनुमोदित, बैचा या प्रचारित किया गया नहीं है। (“एस एंड पी”) का एक प्रभाग मानक और गरीब है। न तो आईआईएसएल और न ही एसएंडपी आम तौर पर उत्पाद में या उत्पाद में निवेश की सलाह के संबंध में उत्पाद के मालिकों या जनता के किसी भी सदस्य को बताया जा निहित करता है।

#### जोखिम:

यूनिट संबंद्ध जीवन बीमा उत्पाद पारंपरिक बीमा उत्पादों से अलग हैं और जोखिम कारकों के अधीन हैं।

यूनिट संबंद्ध जीवन बीमा पॉलिसियों में भुगतान प्रीमियम पूँजी बाजारों और इकाइयों के एनएवी से जुड़े निवेश जोखिमों के अधीन हैं। फॅंड और कारकों के प्रदर्शन के अधार पर ऊपर या नीचे जा सकते हैं। पूँजी बाजार को प्रभावित करना वीमित / पॉलिसीधारक अपने फैसलों के लिए जिम्मदार है।

यूनिट लिंक फॅंड बाजार के जोखिम के अधीन हैं और कोई आश्वासन या गारंटी नहीं है कि निवेश निधि का उद्देश्य हासिल किया जाएगा।

निवेश निधि का पिछला प्रदर्शन इसके भविष्य के प्रदर्शन को इंगित नहीं करता है। इस योजना में निवेशकों को कोई गारंटी/आश्वासित रिटर्न नहीं दिया जा रहा है। बीमा आग्रह की विषयवस्तु है।

#### धारा 41

(1) किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुमति देने या किसी भी व्यक्ति को भारत में जीवन या संपत्ति से संबंधित किसी भी तरह के जोखिम के संबंध में बीमा, पॉलिसी पर दिखाए गए प्रीमियम के पूरे या दिस्से के द्वारा किसी भी छूट या पॉलिसी पर दिखाए गए प्रीमियम का कोई छूट लेने या नवीनीकरण करने या जारी रखने की अनुमति देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और न ही कोई भी व्यक्ति जो पॉलिसी ले रहा है या नवीनीकरण कर रहा है या पॉलिसी जारी रखता है। इस तरह की छूट को छोड़कर, प्रकाशित प्रॉस्पेक्ट्स या बीमाकर्ता की सारणी के अनुसार अनुमति दी जा सकती है:

(2) इस धारा के प्रावधानों का अनुपालन करने में कोई भी व्यक्ति दोषी के रूप से जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी होगा जो दस लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

#### धारा 45

समय-समय पर संशोधित बीमा अधिनियम 1938 की धारा 45 के अनुसार, तीन वर्ष के बाद गलतपक्षी के आधार पर नीति को प्रश्न के घेरे में नहीं रखा जाना चाहिए।

#### अवीवा के बारे में

अवीवा जीवनबीमा कंपनी इंडिया लिमिटेड डाबर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्प और अवीवा इंटरनेशनल होलिंग्स लिमिटेड - युक्त रिथ्त बीमा समूह, जिसका भारत के साथ संबंध 1834 से है, के बीच संयुक्त उद्यम है। अवीवा जीवन बीमा चुनकर आपको दुनिया का सबसे पुराना बीमा समूह, 1696 से प्रबंधन अनुभव से लाभ मिलता। आज, अवीवा समूह के 16 देशों में 31 प्रिलियन ग्राहक हैं (जुलाई 2014 तक)। 1884 में स्थापित, डाबर सुप की प्रमुख कंपनी डाबर इंडिया लिमिटेड, भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। यह पारंपरिक स्वारथ्य देखभाल उत्पादों के देश के अग्रणी उत्पादकों में से एक है।

## पूछताछ और शिकायतः

अधिक जानकारी, पूछताछ या शिकायतों के लिए कृपया नीचे दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क करें:

1800-180-2244 (बीएसएनएल / एमटीएनएल उपयोगकर्ताओं के लिए टोल-फ्री) या 0124-2709046 या SMS "Aviva" to 5676737



**AVIVA**

| Life Insurance |

## डाबर इन्वेस्ट कॉर्प और अवीवा इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड के मध्य एक संयुक्त उद्यम

### अवीवा जीवन बीमा कंपनी इंडिया लिमिटेड

**मुख्य कार्यालयः** अवीवा टावर, सेक्टर रोड, गोल्फ कोर्स के सामने, डीएलएफ फेज-V, सेक्टर 43, गुडगाँव-122 003, हरियाणा, भारत।

फोनः +91 0124 -2709000, फैक्सः +91 0124 -2571210

वेबसाइटः [www.avivaindia.com](http://www.avivaindia.com)

ई-मेलः [customerservices@avivaindia.com](mailto:customerservices@avivaindia.com)

**पंजीकृत कार्यालयः** द्वितीय मंजिल, प्रकाशदीप विलिंडग, 7, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110 001, भारत

IRDA of India Registration No.: 122

Corporate Identity Number (CIN): U66010DL2000PLC107880

फर्जी फोन कॉल और जाली/ठगी के ऑफर्स से सावधानः IRDA की सार्वजनिक घोषणा:

- IRDA या इसके अधिकारी किसी प्रकार के बीमा या फाइनैशियल प्रोडक्ट की बिक्री या फिर प्रीमियम इन्वेस्टमेंट जैसे कार्य नहीं करते हैं।
- IRDA किसी बोनस की घोषणा नहीं करता है। ऐसे फोन कॉल आने पर फोन नंबर के साथ कॉल विवरण सहित पुलिस में ज़रूर शिकायत करें।

ऊपर प्रदर्शित ट्रेड लोगो अवीवा ब्रॉन्ड्स लिमिटेड का है और अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड लाइसेंस के तहत इसका उपयोग करती है। कृपया ध्यान दें कि मूल आधार दस्तावेज़ अंग्रेजी में है और इसके संदर्भ में आपकी आसानी के लिए स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया है। अनुवाद के कारण उत्पन्न होने वाली विविध व्याख्या के मामले में अंग्रेजी संस्करण हर समय स्थानीय भाषा का अधिग्रहण करेगा। हेल्पलाइन नं. 1800-180-22-66/1800-103-77-66, UIN: 122L086V03, MKT/July 2017/Ver.1.2. Advt. No.: Jul 21/17.